न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 103/2018(2018/00198)

अनवान : –

1. भीमसिंह पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

2. रामीदेवी पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. शिमला पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोशणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री बलवन्तसिंह वादी
श्री श्यामसुन्दर शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं 90/90 के मु0न0 53 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 7 के किला न0 6, 7, 13, 14 16 की कुल 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया है।

निहालसिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का इंतकाल दर्ज हुआ तो संवहन से वादी का नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि निहालसिंह के दूसरे खातों की आराजी में वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ दर्ज है। वादी मृतक निहालसिंह का अकेला पुत्र है तथा उसका भी विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ 7/30 हिस्सा में वादी का भी हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 1 रामीदेवी वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहिने है, जिन्होंने अपना ईकबालदावा पेश किया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने ईकबालदावा पेश किया, जो बाद तसदीक पत्रावली पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0स0 103/2018 अनुवान भीमसिंह बनाम रामीदेवी आदि आदि धारा 88 आरटीएक्ट

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद रोही मौजा चक 3 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं 90/90 के मु0न0 53 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 7 के किला न0 6, 7, 13, 14 16 की कुल 1.012 हैक्टेयर वाद भूमि में वादी का हिस्सा व हक निहित है। जो सरपंच ग्राम पंचायत निनाण द्वार जारी सदस्यता प्रमाण पत्र से भी साफ रोशन है।

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 90/90 में निहालसिंह के वारिसानों में वादी का नाम शामिल करते हुए रामी देवी पत्नी निहालसिंह, शिमला, राजबाला के बाद वादी भीमसिंह का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:36 IST
Reason: SelfAttested